III/निग/मुरैना/भू-रा/2017/2497

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–मुरैना

छोटेलाल पुत्र श्री देवीराम कोरी,
निवासी–ग्राम महासुखका पुरा, मौजा ककरारी
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

1– राजवीर सिंह पुत्र श्री विद्याराम सिंह गुर्जर
निवासी – चिरपुरा, तहसील अम्बाह,
जिला मुरैना (म.प्र.)

2– मनोजसिंह परमार पुत्र श्री पूरनसिंह परमार,
निवासी– ग्राम ककरारी, तहसील अम्बाह,
जिला मुरैना (म.प्र.)

3– मुकेशसिंह तोमर पुत्र श्री रामदयाल सिंह तोमर
निवासी– महासुखकापुरा, हाल निवास अम्बाह,
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

4– उदयसिंह पुत्र श्री खुशीलाल,
निवासी – ग्राम रिठौना, तहसील अम्बाह,
जिला मुरैना (म.प्र.)

5– परिमाल सिंह पुत्र श्री देवसिंह
निवासी – महासुखकापुरा, मौजा ककरारी,
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 68/2015–16/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील अम्बाह, जिला मुरैना के समक्ष भूमि सर्वे क्रमांक 453 रकवा 0.52 आरे, अनावेदक क्रमांक 5 परिमार सिंह द्वारा किये गये विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2016 के आधार पर क्रेता अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / मुरैना / भू.रा. / 2017 / 2497

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–8–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित होकर यह निगरानी तहसीलदार तहसील अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 68 / अ–6 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.7.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– प्रकरण में उभय पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न उपलब्ध अभिलेखें का अध्ययन किया। आवेदक द्वारा दिनांक 27.7.17 को आपत्ति प्रस्तुत की जिसे तहसीलदार द्वारा यह कहते हुये निरस्त की गई है कि वर्तमान अभिलेख अनुसार कब्जेदार का नाम अंकित नहीं होने से ग्राह्य योग्य नहीं है। आवेदन को अस्वीकार किया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक / पटवारी से स्थल जांच प्रतिवेदन नहीं मंगाया गया और आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। अतः तहसीलदार तहसील अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 68 / अ–6 / 2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 27.7.2017 विधिक त्रुटि परिलक्षित होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह राजस्व निरीक्षक / पटवारी से स्थल जांच प्रतिवेदन मगांकर अपना आदेश पारित करें। सदस्य	